न्यायमूर्ति महिंदर सिंह सुल्लर के समक्ष

जसमीत सिंह पुरी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य एवं अन्य-प्रतिवादी

2007 का सीआरएम नंबर एम-53047

30 जुलाई 2012

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 - धारा 7 और 17 - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 - नियम 32 - रोकथाम की धारा 16(1) (ए) (i) के साथ पठित धारा 7 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सरकारी खाद्य निरीक्षक द्वारा दायर शिकायत खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 - आरोप है कि याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशक थे और उनके पास गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ थे - नियमों के नियम 32 और 40 (2) का उल्लंघन - शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि वे इसके प्रभारी और जिम्मेदार थे। व्यवसाय के संचालन के लिए - शिकायत ने धारा 17 का उल्लंघन किया - माना गया, कंपनी ने धारा 17 के तहत अपना नामांकित व्यक्ति नियुक्त नहीं किया था - कंपनी के सभी प्रभारी निदेशकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है - मिलावटी भोजन का भंडारण, बिक्री या वितरण दंडनीय है - याचिका खारिज .

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि इन प्रावधानों को संयुक्त और सार्थक रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि किसी भी कानूनी रूप से नामित व्यक्ति की अनुपस्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय अपराध किया गया था, कंपनी के आचरण के लिए प्रभारी था और उसके प्रति जिम्मेदार था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिनियम की धारा 7 और 16 (1)(ए)(i) के तहत विचार किए गए किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए इसके व्यवसाय पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(पैरा 15)

इसके अलावा, यह अभिनिर्णीत किया गया है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने अस्पष्ट पत्र (अनुलग्नक पी 2) को छोड़कर रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की, यहां तक कि ठोस भी नहीं कि कंपनी ने कथित तौर पर नामांकित व्यक्ति को नियुक्त किया है। इस स्तर पर अस्पष्ट पत्र (अनुलग्नक पी2) पर कोई अंतर्निहित निर्भरता नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा कहीं भी संकेत नहीं दिया गया है कि ऐसे नामांकित व्यक्ति को धारा 17(1)(ए) (i) के तहत आवश्यक कानूनी रूप से/विधिवत नियुक्त किया गया था या कोई आदेश पारित किया गया था। अपने किसी भी निदेशक या प्रबंधक को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करते हुए और एलएचए को ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से कोई नोटिस दिया जो निर्धारित किया जा सकता है, कि उसने ऐसे निदेशक या प्रबंधक को लिखित सहमति के साथ जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित किया है। ऐसे निदेशक या प्रबंधक को इस प्रकार नामांकित किया जाना चाहिए, जिसका मौजूदा मामले में गहरा अभाव है। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता-आरोपी प्रासंगिक समय में फोर्टिस हेल्थ वर्ल्ड के निदेशक थे। हालाँकि वे निर्माता नहीं थे, लेकिन जनता को गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ बेचने वाले होने के कारण वे दायित्व से बच नहीं सकते।

(पैरा 16)

इसके अलावा, इसका अर्थ यह है कि, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने कानूनी तौर पर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को नामित नहीं किया है, इसलिए, वे कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार होने के कारण संकेतित अपराध के लिए अपने व्यवसाय के संचालन के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। अधिनियम की धारा 17 के तहत विचार किया गया। यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि वे मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान यह साबित करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था और उन्होंने ऐसे अपराध को रोकने के लिए उचित परिश्रम किया था, जैसा कि प्रावधान में परिकल्पित है। अधिनियम की धारा 17. जैसा भी हो, लेकिन किसी भी मामले में, इस स्तर पर विवादित आपराधिक शिकायतों (अनुबंधP1) को रद्द करने के लिए कोई आधार, बहुत कम ठोस, नहीं बनाया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्क "स्ट्रिक्टो सेंसु" परिस्थितियों के वर्तमान सेट के तहत अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील चेतन मित्तल और वकील विशाल गर्ग मौजूद रहे।

उत्तरदाताओं की ओर से समीर सिंह, एएजी हरियाणा।

न्यायमूर्ति मेहिन्दर सिंगी सुल्लर (मौखिक)

(1) चूंकि कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए, मैं इस सामान्य निर्णय के आधार पर संकेतित याचिकाओं पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करता हूं।

(2) तत्काल याचिकाओं पर निर्णय लेने और अभिलेखों से निकलने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और सामग्री का सार यह है कि 12.5.2007 को, सरकारी खाद्य निरीक्षक (संक्षिप्तता के लिए "जीएफआई") ने परिसर का निरीक्षण किया। मेसर्स फोर्टिस हेल्थ वर्ल्ड, शॉप नंबर 4, जीएफ-4, एमजीएफ मेगा सिटी मॉल, महरौली रोड, गुडगांव (आरोपी नंबर 1) के नौकर गौरव शर्मा पुत्र नीरज शर्मा को उसके कब्जे में 20 पॉली पैकेट मिले। सार्वजनिक बिक्री के लिए 1000 ग्राम हेल्थ फील्ड्स ऑर्गेनिक मूंग दाल धूली लकड़ी की अलमारी (रैक) में रखी हुई है (पहली याचिका का विषय, 2007 का सीआरएम नंबर एम-53047)। सभी कोड संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, जीएफआई ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (इसके बाद इसे "संबंधित नियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत निर्धारित फॉर्म VI में नोटिस देकर गवाहों की उपस्थिति में मूंग दाल धूली के तीन नमूने लिए। जिन पर लेबल लगाकर मजबूत मोटे कागज में लपेटा गया था। ज्ञापन के साथ एक स्केल्ड बोतल को एक स्केल्ड बॉक्स में विश्लेषण के लिए सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, चंडीगढ़ को भेजा गया था। नमूनों के शेष दो स्केल किए गए पैकेट स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (संक्षेप में "LI1/") के पास जमा किए गए थे।सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि नमूने की बोतल पर लेबल पर बैच संख्या, लॉट संख्या और पैकिंग के महीने और वर्ष की घोषणा नहीं है, जो संबंधित नियमों के नियम 32 के तहत आवश्यक नहीं है।

(3) क्रमिक रूप से, उचित निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए और सार्वजनिक बिक्री के लिए गेटोरेड 'थर्स्ट क्वेंचर (भयंकर) के नमूने की जांच के बाद आरोपी नंबर I (दूसरी याचिका का विषय, सीआरएम नंबर) के कब्जे से बरामद किया गया। 2007 का एम-53048), यह भी गलत ब्रांडेड पाया गया। उत्पाद पर कोई बैच नंबर, लॉट नंबर, प्रतीक, रंग कोड नहीं था जो उत्पाद को शाकाहारी भोजन के रूप में इंगित करता हो, वह महीना और वर्ष, जिसमें वस्तु पहले से पैक करके निर्मित की गई थी, उत्पाद में फलों का रस और यह शामिल नहीं है। सिंथेटिक के रूप में लेबल नहीं किया गया है, जो संबंधित नियमों के नियम 32 और 40(2) का उल्लंघन है और उत्पाद गलत ब्रांडेड था। याचिकाकर्ता-आरोपी दोनों उत्पादों के विक्रेता थे और जनता को गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ बेचने के लिए फोर्टिस हेल्थ वर्ल्ड के निदेशक के रूप में जिम्मेदार थे।

(4) कई तरह के आरोप लगाते हुए और कुल मिलाकर घटनाओं का क्रम बताते हुए, शिकायतकर्ता जीएफआई ने दावा किया कि चूंकि आरोपियों के पास गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ थे और वे जनता को बेच रहे थे, इसलिए, तदनुसार, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। . इन आरोपों की पृष्ठभूमि में, जीएफआई ने धारा 16(1)(ए)(1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ताओं सहित आरोपियों के खिलाफ निर्धारित प्रपत्र में संबंधित शिकायतें (अनुलग्नक पी 1) दर्ज कीं। सीजेएम, गुडगांव की अदालत में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (बाद में इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को यहां-ऊपर दर्शाए गए तरीके से लागू किया जाएगा।

(5) ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होने के बजाय, आरोपी याचिकाकर्ताओं ने सीधे धारा 482 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करते हुए, विवादित शिकायतों (अनुलग्नकपी1) और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए त्वरित याचिका दायर की।

(6) याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला, संक्षेप में जहां तक प्रासंगिक है, यह था कि शिकायतकर्ता ने अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया है, क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वे प्रभारी थे और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार है। वे गलत ब्रांड वाले उत्पादों के निर्माता नहीं हैं। सीधे तौर पर, याचिकाकर्ताओं पर, कंपनी के निदेशक होने के नाते, गलत ब्रांड वाले उत्पाद बेचने के लिए उनकी सहमति, मिलीभगत और लापरवाही के अभाव में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कहा गया कि उनके खिलाफ आपराधिक शिकायतों की शुरुआत अधिनियम की धारा 17 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके की गई है और इसे रद्द किया जा सकता है। उपरोक्त आधारों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने यहां पहले वर्णित तरीके से, विवादित शिकायतों (अनुलग्नक पी 1) और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की।

(7) उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को खारिज कर दिया और जवाब दाखिल किया, अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी कि चूंकि याचिकाकर्ताओं की कंपनी ने न तो अपना नामांकित व्यक्ति नियुक्त किया और न ही एलएचए द्वारा ऐसा कोई नामांकन स्वीकार किया गया, इसलिए, सभी निदेशक, प्रभारी इस संबंध में कंपनी के जिम्मेदार और मुकदमा चलाने योग्य हैं। याचिकाकर्ता निर्माता नहीं हैं और वे अधिनियम और प्रासंगिक नियमों की धारा 7, 16 और 17 के तहत जनता को गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों के विक्रेता होने के कारण अपने दायित्व से बच नहीं सकते हैं। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उत्तरदाताओं ने मुख्य याचिकाओं में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और उन्हें खारिज करने की प्रार्थना की है। इस प्रकार, मैं इस मामले को समझ गया हूँ।

(8) पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद, उनकी बहुमूल्य सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और कानूनी प्रावधानों को पढ़ने के बाद और पूरे मामले पर विचार करने के बाद, मेरे विचार से, वर्तमान याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है।

(9) प्रथम दृष्टया, विद्वान वकील का तर्क है कि चूंकि शिकायतों में विशेष रूप से यह दलील नहीं दी गई है कि याचिकाकर्ता कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए सीधे जिम्मेदार थे, इसलिए, विवादित शिकायतें (अनुलग्नक पीआई) उत्तरदायी हैं रद्द किया जाना, न तो मान्य है और न ही अनीता हाडा बनाम एमआई गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ मान्य हैं। लिमिटेड तत्काल मामले के सभी तथ्यों पर लागू होता है, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और 141 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, यह देखा गया था कि "कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है, आपराधिक अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकती है।" आधार यह है कि वे आपराधिक अपराध करने के लिए आवश्यक आपराधिक कारण रखने में सक्षम नहीं हैं। यदि कंपनी द्वारा जारी किया गया चेक बाउंस हो गया था, तो कंपनी को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किए बिना उसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा जारी नहीं रह सकता है और कंपनी को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। एक अनिवार्यता है।"

(10) संभवतः, उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे लिए, यह वर्तमान विवाद में याचिकाकर्ताओं के बचाव में नहीं आएगा।

(11) जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, आपराधिक शिकायतें (अनुलग्नक पीआई) याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्तों के खिलाफ स्पष्ट अपराधों के लिए दायर की गई थीं। अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में स्वयं या अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ की किसी भी वस्तु का बिक्री के लिए निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा। इसके स्पष्टीकरण

के अनुसार, किसी व्यक्ति को खंड (iii) या खंड (iv) या खंड (v) में निर्दिष्ट किसी भी मिलावटी भोजन या गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ या किसी भी खाद्य पदार्थ का भंडारण करने वाला माना जाएगा, यदि वह ऐसे भोजन को उसके निर्माण के लिए संग्रहीत करता है। बिक्री के लिए भोजन का कोई भी सामान। अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, कोई भी खाद्य पदार्थ का निर्माता या वितरक या डीलर किसी भी विक्रेता को ऐसी वस्तु नहीं बेचेगा, जब तक कि वह निर्धारित प्रपत्र में ऐसी वस्तु की प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में लिखित में वारंटी न दे। विक्रेता।

(12) क्रम में, धारा 16 में कहा गया है कि उप-धारा (14) के प्रावधानों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति चाहे वह स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भारत में आयात करता है या बिक्री या भंडारण के लिए निर्माण करता है, किसी वस्तु को बेचता या वितरित करता है अधिनियम के किसी भी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए मिलावटी और गलत ब्रांड वाला खाद्य पदार्थ खाता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

(13) इसी तरह, अधिनियम की धारा 17 में परिकल्पना की गई है कि जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तो वह व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे उप-धारा (2) के तहत प्रभारी और जिम्मेदार होने के लिए नामित किया गया है कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी या जहां किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति जिम्मेदार था। कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और दंडित किया जाएगा।

(14) हालाँकि, इस धारा के प्रावधान में कहा गया है कि इस उपधारा में निहित कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने इसके लिए सभी उचित परिश्रम

किया था। ऐसे अपराध को घटित होने से रोकें। इसी प्रकार, उप-धारा (2) में कहा गया है कि कोई भी कंपनी, लिखित आदेश द्वारा, अपने किसी भी निदेशक या प्रबंधक को ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और कंपनी द्वारा कमीशन को रोकने के लिए आवश्यक या समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत कर सकती है। इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध और एलएचए को ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से नोटिस दे सकता है जो निर्धारित किया जा सकता है, कि उसने ऐसे निदेशक या प्रबंधक की लिखित सहमति के साथ ऐसे निदेशक या प्रबंधक को जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित किया है। इतने नामांकित होने के लिए.

(15) इन प्रावधानों के एक संयुक्त और सार्थक पढ़ने से पता चलेगा कि किसी भी कानूनी रूप से नामित व्यक्ति की अनुपस्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था और उसके आचरण के लिए जिम्मेदार था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिनियम की धारा 7 और 16 (1)(ए)(i) के तहत विचार किए गए किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए इसके व्यवसाय पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(16) याचिकाकर्ता-अभियुक्तों ने अस्पष्ट पत्र (अनुलग्नक पी2) को छोड़कर रिकॉर्ड पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की, यहां तक कि ठोस भी नहीं कि कंपनी ने कथित तौर पर नामांकित व्यक्ति को नियुक्त किया है। इस स्तर पर अस्पष्ट पत्र (अनुलग्नक पी2) पर कोई अंतर्निहित निर्भरता नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा कहीं भी संकेत नहीं दिया गया है कि ऐसे नामांकित व्यक्ति को धारा 17(1)(ए)(आई) के तहत आवश्यक कानूनी रूप से/विधिवत नियुक्त किया गया था या कोई आदेश पारित किया गया था। लिखित रूप में अपने किसी भी निदेशक या प्रबंधक को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया और एलएचए को ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से कोई नोटिस दिया जो निर्धारित किया जा सकता है, कि उसने ऐसे निदेशक या प्रबंधक को लिखित सहमति के साथ जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित किया है। ऐसे निदेशक या प्रबंधक को इस प्रकार नामांकित किया जाना चाहिए, जिसका मौजूदा मामले में गहरा अभाव है। यह विवाद का

विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता-आरोपी प्रासंगिक समय में फोर्टिस हेल्थ वर्ल्ड के निदेशक थे। हालाँकि वे निर्माता नहीं थे, लेकिन जनता को गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ बेचने वाले होने के कारण वे दायित्व से बच नहीं सकते।

(17) मतलब, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने कानूनी रूप से किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को नामित नहीं किया है, इसलिए, जैसा कि विचार किया गया है, वे संकेतित अपराध के लिए अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार होने के नाते मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। अधिनियम की धारा 17 के तहत. यह कहने में कोई फायदा नहीं है कि वे मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान यह साबित करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था और उन्होंने ऐसे अपराध को रोकने के लिए उचित परिश्रम किया था, जैसा कि प्रावधान में परिकल्पित है। अधिनियम की धारा 17. जैसा भी हो, लेकिन किसी भी मामले में, इस स्तर पर विवादित आपराधिक शिकायतों (अनुलग्नक पीआई) को रद्द करने के लिए कोई आधार, बहुत कम ठोस, नहीं बनाया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्क "स्ट्रिक्टो सेंसु" परिस्थितियों के वर्तमान सेट के तहत अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

(18) विचार करने योग्य कोई अन्य कानूनी बिंदु, पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा न तो आग्रह किया गया है और न ही दबाया गया है।

(19) उपरोक्त कारणों के आलोक में और गुण-दोष पर और कुछ टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि यह मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, क्योंकि इसमें कोई गुण-दोष नहीं है, इसलिए तत्काल याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इस प्रकार।

(20) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यहां ऊपर जो कुछ भी देखा गया है, वह मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी तरह से गुण-दोष को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, क्योंकि इसे

वर्तमान याचिकाओं पर निर्णय लेने के सीमित उद्देश्य के लिए दर्ज किया गया है। यह प्रासंगिक दिशा. चूंकि मामला काफी पुराना है, इसलिए ट्रायल कोर्ट को मुख्य मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh